

4

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-2/एल-97/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० नम्रता सिन्हा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(स्त्री रोग), सदर अस्पताल, जमुई द्वारा अपने पति की चिकित्सा हेतु उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक 09.08.2024 से 05.09.2024 एवं गर्भपात के कारण उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक 17.10.2024 से 30.11.2024 तक को वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1665(25), दिनांक 11.08.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-220, 227 एवं 230 के आलोक में निम्नरूप में स्वीकृत किया जाता है:-

1	दिनांक 09.08.2024 से 05.09.2024 तक	- कुल 28(अठारह) दिन उपार्जित अवकाश।
2	दिनांक 17.10.2024 से 27.11.2024 तक	- कुल 42(बयालीस) दिन गर्भपात अवकाश।
3	दिनांक 28.11.2024 से 30.11.2024 तक	- कुल 03(तीन) दिन उपार्जित अवकाश।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/ एल-97/2025-

274(2) पटना, दिनांक 10/2/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, जमुई/कोषागार पदाधिकारी, जमुई/डा० नम्रता सिन्हा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(स्त्री रोग), सदर अस्पताल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9ए, 9बी, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

W. P. K. 10/2/26
सरकार के उप सचिव।